

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड-II/2022/2248

दिनांक: 05/08/2022

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय (Clerk Grade-II) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2022

1- राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) [Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986] (As amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय (Clerk Grade-II) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर संयुक्त सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाइन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये 14,600/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवेक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-5 के अनुसार पे-स्केल रु. 20,800—65,900/- संदेय होगा।

विशेष नोट:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcjraj.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
- (2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएँ अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिमेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2- रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation):-

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण, जिला-न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है :-

- | | |
|---|-------------|
| A. राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक :- | संलग्नक - 1 |
| B. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय :- | संलग्नक - 2 |
| C. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक :- | संलग्नक - 3 |
| D. जिला न्यायालयों हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय :- | |
| i. गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :- | संलग्नक - 4 |
| ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :- | संलग्नक - 5 |
| E. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु कनिष्ठ सहायक :- | |
| i. गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :- | संलग्नक - 6 |
| ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :- | संलग्नक - 7 |

नोट:-

- i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति / शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
- ii. अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी तैयार की जा सकेगी।

05/08/2022

3- अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में :-

- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उपं आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसारण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।
 - जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।
 - इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।
 - अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेंगी।
 - “अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –
 - 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है;
 - यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता-पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है;
 - उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है।
- 4- बारा जिले की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत, अति पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। शेष 36 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।**
- 5- विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-**
- महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Categorywise Horizontal) रूप से होगा।
 - दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-
 (अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।
 (ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।
 - उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sports Persons) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-
 (अ) “Outstanding sportspersons” shall mean sportspersons who are bona fide resident of the State of Rajasthan, and,-
 - represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/ championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table,-

S.No.	International Sports Body	Name of the Tournament/ Championship
1	International Olympic Committee [IOC]	Olympic Games (Summer)
2	Olympic Council of Asia [OCA]	Asian Games
3	South Asian Olympic Council [SAOC]	South Asian Games; commonly known as SAF games
4	Commonwealth Games Federation [CGF]	Commonwealth Games
5	International Sports Federation affiliated to IOC	World Cup/ World Championship
6	Asian Sports Federation affiliated to OCA	Asian Championship
7	International School Sports Federation [ISSF]	International School Games/ Championship

8/8/2022

8	Asian School Sports Federation [ASSF]	Asian School Games/ Championship
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Or

(ii) medal winner in the individual or in team event in any School National Games of any Sports and Games organized by the School Games Federation of India;

Or

(iii) medal winner in the individual or in team event in any national tournament/championship of any sports and games, organized by the Indian Olympic Association or its affiliated National Sports Federation [N.S.F.];

Or

(iv) medal winner in the all India inter universities in individual event or in team event in the any sports and games, organized by the association of Indian universities;

Or

(v) represented Rajasthan in individual or in a team event in national games/national para games or national championship / para national championship of any sports and games, organized by Indian Olympic Association/ Para Olympic Committee of India or its affiliated National Sports Federation.

(ब) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से होगा।

iv. भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरुद्ध क्षेत्रिज (Horizontal) रूप से होगा।

v. क्षेत्रिज (Horizontal) आरक्षण में, जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

vi. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

vii. भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

viii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण—पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

ix. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण—पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण—पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, लेकिन एकबार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ—पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण—पत्र को ही मान लिया जावेगा ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चुंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 22.09.2022 है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 22.09.2021 से 22.09.2022 की समयावधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 22.09.2019 से 21.09.2021 की समयावधि में एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ—पत्र पेश करने पर दिनांक 22.09.2019 से 21.09.2021 की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावेगा।

x. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध प्रमाण—पत्र (Income & Asset Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ—पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष के लिये किया जा सकता है।


05/08/2022

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चुंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 22.09.2022 है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 01.04.2022 से 22.09.2022 की समयावधि में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2022 की समयावधि में एक बार Income & Asset Certificate जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र पेश करने पर दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2022 की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावेगा।

- xii. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- xiii. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- xiv. विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।
- xv. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

महत्वपूर्ण नोट (Important Notes):-

- राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालत सहित) की रिक्तियों के विरुद्ध संफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु संस्थावार (**Institutewise**) अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक संस्था हेतु की जायेगी जो कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर परीक्षा (गति एवं दक्षता परीक्षा) में अर्जित कुल प्राप्तांकों (Total Aggregate Marks) के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा।
- गैर-अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे।
- जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशस्त्र कर सकेंगा, जिसमें वह उचित समझे।
- जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दशा में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) का स्पष्ट रूप से चयन करें।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात किन्हीं अन्य चार गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर-अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे।
- उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है।

- 6- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

05/08/2022

7- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification):-

A candidate for direct recruitment:

1. must be a graduate of any University established by law in India or equivalent examination from any University recognized by the Government for the purpose and ;
2. must have basic knowledge of Computer.

8- शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness) :-

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुकस नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9- राष्ट्रीयता (Nationality):-

सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का नागरिक हो, या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र दिया गया है।

10- आयु (Age):-

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of **18 years** and must not have attained the age of **40 years**, on the first day of January next following **(01.01.2023)** the last date fixed for receipt of the application. PROVIDED that:

- (1) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or More Backward Classes or Economically Weaker Sections or Women candidates;
- (2) there shall be no age limit in case of Widow and Divorcee women candidate;
- (3) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years.
- (4) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the Persons with Benchmark Disabilities, as per Circular No. प.14(36) कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-I dated 01.12.2021 issued by the State Govt;
- (5) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (6) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner, who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
- (7) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (8) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

Note- the above relaxation in age will be admissible only in one category.

नोट - अंतिम बार कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), लिपिक ग्रेड-द्वितीय (Clerk Grade-II) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किये गये थे। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2022 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं।

स्पष्टीकरण - राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय (Clerk Grade-II) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2020 को राजस्थान उच्च न्यायालय

३०/०८/२०२२

के नोटिस क्रमांक RHC/Exam Cell/JrJA-Clerk Grade-II/1647 Dated 03.06.2022 द्वारा रद्द कर दिया गया था व उक्त भर्ती के आवेदकों को नवीन प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी। अतः ऐसे पुराने आवेदक एतस्मिनपूर्व किसी भी बात के होते हुए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र (eligible) समझे गए हैं।

11- चरित्र (Character):-

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:-

- (i) एक सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र (Good Character Certificate), उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा एवं
- (ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो न तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबद्ध हो तथा न ही उसके सम्बन्धी हों।

12- परीक्षा शुल्क (Examination Fee):-

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:-

सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी) / अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी) / अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी) / अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी) / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक / दिव्यांगजन
रुपये 500/-	400/-	रुपये 350/-

नोट:-

(i) जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय (Clerk Grade-II) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 282 दिनांकित 19.03.2020 के क्रम में आवेदन किया था व निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था, ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हे ऑनलाइन आवेदन पुनः करना होगा।

(ii) यदि कोई आवेदक, जिसने पूर्व भर्ती, 2020 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था, वह उक्त पूर्व भर्ती के किसी अन्य आवेदक के User Name के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने या अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता (candidature) बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जाएगी और वह आपराधिक अभियोजन हेतु भी दायी होगा।

13- परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee):-

परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया गया हो। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर पेश कर दिया जाये।

14- नियुक्ति के लिए निरहताएँ (Disqualifications for Appointment):-

- (1) No male or female candidate, who has more than one wife/husband living, shall be eligible for appointment to the service.
- (2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment.
- (3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.
Note: - For the purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)
- (4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the commencement of these rules.

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase.

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

65/68/2022

EXPLANATION: For the purpose of this sub rule, child born within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

"Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted."

नोट:- अभ्यर्थी के वरीयतानुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी अथवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चयन हेतु पात्रता के लिए दो से अधिक सन्तान होने की निर्याग्यता के नियम के प्रयोग्य होने की तिथि दिनांक 29.09.2005 तथा जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चयन हेतु दिनांक 06.07.2010 समझी जावेगी।

15- परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):-

The competitive examination shall be held to test the ability of the candidate in the following subjects and each subject will carry the number of marks shown as under:-

(a) SECTION-A

(1) Written Test:

The Written Test shall consist of one paper of 300 marks comprising of:-

S.No.	Paper Name	Max Marks	Min. Marks		Duration
			For SC/ST & PH candidates	For other candidates	
1	Part-A Hindi	100	120	135	2 Hours
2	Part-B English	100			
3	Part-C General Knowledge	100			

(2) लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Written Test) :-

- i. Each Part shall have 50 Multiple Choice Questions bearing two marks for each question.
- ii. Written test will be conducted through OMR answer sheet.
- iii. There shall be no negative marking for wrong answers in the Written Test.

(3) Syllabus for Written Test shall be as under:

1. हिन्दी

1. संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद
2. समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना
3. उपसर्ग
4. प्रत्यय
5. पर्यायवाची शब्द
6. विपरीतार्थक (विलोम) शब्द
7. अनेकार्थक शब्द
8. शब्द-युग्म / समश्रुत शब्द
9. शब्द-शुद्धि
10. वाक्य-शुद्धि
11. वाच्य
12. वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द
13. मुहावरे और लोकोक्तियां

2- English

- 1- Improvement of sentences
- 2- Tenses/Sequences of Tenses
- 3- Voice : Active & Passive
- 4- Narration : Direct and Indirect
- 5- Transformation of Sentences : Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa

- 6- Use of Articles, Determiners and Prepositions
 7- Correction of sentences including subject, verb, Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used.
 8- Synonyms and Antonyms
 9- One word substitutions
 10- Prefixes and Suffixes
 11- Confusable Words
 12- Idioms & Phrases
- 3- General Knowledge**
- 1- Current Affairs
 2- Geography and Natural Resources
 3- History and Culture of Rajasthan

(b) SECTION-B

(1) Type-Writing Test on Computer

The Computer Test (Speed and Efficiency Test) shall consist of two papers :-

S. No.	Paper	Language	Duration	Max. Marks	Min. Marks	
					for SC, ST & PH candidates	for other candidates
1	Paper-I Speed Test	Hindi	5 Minutes	25	20	22.5
		English	5 Minutes	25		
2	Paper-II Efficiency Test	-	10 Minutes	50	20	22.5

(2) गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Speed & Efficiency Test) :-

- i. The font for Computer Test shall be "Kruti Dev 010" for Hindi and "CALIBRI" for English.
- ii. Minimum Speed should be 8000 key depressions per hour on computer. Data will have to be fed in dual language, i.e. English and Hindi.
- iii. Efficiency Test may be taken on word processing software. It shall include formatting of Test, Paragraph, Page & Table using proper methods and formatting of letters.

Notes:-

- (i) Merit list of successful candidates for selection shall be prepared on the basis of Total Aggregate Marks obtained in Written Test and Type-Writing Test on Computer (Speed & Efficiency Test).
- (ii) Those candidates who secure minimum 45% marks and 40% marks in case of Scheduled Caste / Scheduled Tribes & Persons with Benchmark Disabilities in the written test shall be eligible for appearing in the type writing test on computer, subject to the extent of **5 times of the number of vacancies (category-wise)** but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks shall be included."
- (iii) No candidate who fails to secure 50% in the aggregate with at least 40% marks in case of Scheduled Caste / Scheduled Tribes & Persons with Benchmark Disabilities and 45% marks in case of all other categories, in each test, at the competitive examination shall be selected.
- (iv) The general suitability for service of the candidates securing equal total aggregate marks in Written Test and Type Writing Test on Computer shall be determined on the basis of having regard to age i.e. the candidate, elder in age shall be given higher place in merit.
- (v) Persons with Benchmark Disabilities shall be provided relaxation from the Type-Writing Test on computer and they shall be awarded marks in Computer Test on the basis of average marks obtained by them in the Written Test. **However, if any such candidate voluntarily opts in his online application, to appear in the Type-Writing Test on computer, he shall be allowed to appear in such test.**

16- ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for filling Online Application)-

05/08/2022

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को नियमित रूप से देखते रहें।

17- आवेदन करने की समय सीमा (Time Limit to Apply) :-

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा	22.08.2022 (सोमवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 22.09.2022 (गुरुवार) को सायं 05:00 बजे तक।
2.	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	22.08.2022 (सोमवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 23.09.2022 (शुक्रवार) को रात्रि 11:59 बजे तक।

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।

18- आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):-

- कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिरिक्ति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।
- आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

19- परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, Month and Date of Examination) :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी। आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए लिखित परीक्षा दो या अधिक पारियों में आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

20- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate):-

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठात्री हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

21- प्रवेश-पत्र (Admission Card) :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> पर Upload किये जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जौधपुर की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

22- अन्य महत्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):-

- लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात प्रश्न-पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आपत्तियां प्रति प्रश्न 200/- रुपये शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर राजस्थान उच्च न्यायालय को

निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेगी। एक बार भुगतान की गई शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली अथवा किसी अन्य माध्यम अथवा अपेक्षित शुल्क का भुगतान किए बिना प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।

- (2) “राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006”, के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।
- (3) अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on claim) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- (4) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
- (5) प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट <http://www.heraaj.nic.in> पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।
- (6) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आये। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।
- (7) जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) ले जाने/रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (8) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- (9) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाइन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता (तलाकशुदा)/उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (10) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड-बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा।
- (11) **श्रृत लेखक (Scribe) की सुविधा:-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। इस संदर्भ में ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुतलेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।
- (12) **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means):-** परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्भिलित है।
- (13) **अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment by irregular or Improper Means)-** कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या

महाप्रभु
2022


अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से और सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

- (14) संयाचना (Canvassing)— नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

हैल्प लाईन (Help Line) :-

ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हैल्प लाईन (**Help Line**) नम्बरों 0291-2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (**During Office Hours**) सम्पर्क करें।

उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई-मेल/फैक्स से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।



रजिस्ट्रार (परीक्षा)

(संलग्नक - १)

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

S.NO.	TOTAL VACANCIES	UNRESERVED				Total Gen	EWS				SC				Total SC	ST				OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total I				
		UR	F	W	D		EW S	F	W	D	SC	F	W	D		ST	F	W	D	OB C	F	W	D		M BC	F	W	D	B/L V	D/H H	LD	AUT/M D	ES	OSP					
1	320	82	23	9	2	116	23	6	2	1	32	36	10	4	1	51	27	8	2	1	38	47	14	5	1	67	12	3	1	0	16	16	40	6	58	58			
						320					116					51					38					67													



05/08/2022

(संलग्नक - 2)

राजस्थान न्यायिक अकादमी में लिपिक ग्रेड -II के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

S.NO.	TOTAL VACAN- CIES	UNRESERVED				Total Gen	EWS				SC				Total SC	ST				OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total I		
		UR	F	W	D		EW	S	F	W	D	Total EWS	SC	F	W	D	ST	F	W	D	OBC	F	W	D	M BC	F	W	D	PD	B/L	D/H	LD	AUT	M D	ES	OSP
1	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4					4					0					0				0					0									0		



05/08/2022

(संलग्नक - 3)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

S.NO.	TOTAL VACAN- CIES	UNRESERVED				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				HORIZONTAL RESERVATION						Total I	
		UR	F	W	D		EW S	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OB C	F	W	D		M BC	F	W	D	B/L V	D/H H	LD	AUT	M D	ES	OSP	
1	18	11	3	1	0	15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
	18					15					1					0				2					0					0					0		3	



05/08/2022

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas)

जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-II के रिकॉर्ड पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

(संलग्नक - 5)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-II के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	UNRESERVED				Total Gen	EWS				SC				ST				OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION				Total I												
			UR	F	W	D		EW S	F	W	D	Total EWS	SC	F	W	D	Total SC	ST	F	W	D	Total ST	OB C	F	W	D	Total OBC	M BC	F	W	D	Total MBC	PD				ES	OSP	Total I					
																							B/L V	D/ HH	LD	AU T	M D																	
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	4	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	PRATAPGARH	12	4	1	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
3	BANSWARA	34	7	4	2	0	13	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	9	6	2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4	DUNGARPUR	19	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	9	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
	Total	69					27					2					5					35					0																	



05/08/2022

नौज अन्स द्वितीय क्षेत्र (NON TSP Areas)

नगर अनुशोधन संकाय (NON-SPR UNIT)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (स्थायी लोक अदालतों एवं तालुका विधिक सेवा समिति सहित) में कानिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

✓ 0508 | 2022

(संलग्नक - 7)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों एवं तालुका विधिक सेवा समिति सहित) में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण
(जिला-न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	DLSA	TLSC	PLA	UNRESERVED				EWS				SC				ST				OBC				MBC				HORIZONTAL RESERVATION								
						UR	F	W	D	Total Gen	EW S	F	W	D	Total EWS	SC	F	W	D	Total SC	ST	F	W	D	Total OBC	OB C	F	W	D	Total MBC	M BC	F	W	D	PD			
																																			Total			
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	0								0					0				0				0											0				
2	PRATAPGARH	6	3	2	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	BANSWARA	7	3	4	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	DUNGARPUR	4	1	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Total	17	7	9	1					9					0				0				8				0							0				

नोट:- निम्न पदों की तालिकाओं में प्रयुक्त सक्षिप्त शब्द-रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)

W - Widow (विधवा)

PD - Persons with Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (यलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मरिटिक घात, ठीक किया गया कुछ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्बिकार हैं)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, रीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अन्धता है)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछङ्गा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछङ्गा वर्ग)

EWS - Economic Weaker Section (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)

OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

ES - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

S. Jari
05/08/2022